कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, 21 विधानसभा मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक : 3931/मनरेगा/पत्रा0सं0–14/2023 दिनांक 15नवम्बर, 2023

विज्ञप्ति

मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0–J11060/54/2020-RE-III (373836) दिनांक 23.12.2021 द्वारा प्रत्येक जनपद में लोकपाल तैनात किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में निम्नलिखित 23 जनपदों में लोकपालों (**Ombudsman**) का चयन किया जाना है:–

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	जनपद
1	गाजीपुर,	13	बस्ती,
2	गोरखपुर,	14	संतकबीर नगर,
3	कुशीनगर,	15	अयोध्या,
4	बलरामपुर,	16	बाराबंकी
5	गोण्डा,	17	सुल्तानपुर,
6	बहराइच,	18	सीतापुर,
7	प्रयागराज	19	हरदोई,
8	बलिया,	20	लखीमपुर खीरी,
9	मऊ,	21	चित्रकूट
10	बांदा,	22	जालौन
11	हमीरपुर,	23	उन्नाव
12	फतेहपुर,		

निम्नलिखित अर्हता रखने वाले इच्छुक व्यक्तियों से लोकपाल मनरेगा के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

1. उक्त पद हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी ख्याति सामाजिक क्षेत्र में अच्छी, ईमानदार एवं गैर राजनीतिक हो। सार्वजनिक प्रशासन, विधि, शिक्षा, सामाजिक कार्य एवं प्रबंधन क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ ही उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाएगा, जन संगठन/सामुदायिक संगठन में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य योग्यता होगी।
2. आवेदक का राजनैतिक आधार अथवा राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए एवं उसे प्रतिबन्धित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस आशय का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
3. लोकपाल के चयन में उसी जनपद के निवासी अथवा पड़ोसी जनपद के निवासी को वरीयता दी जा सकती है।
4. इस पद पर धारक की अधिकतम आयु सीमा 66 वर्ष होगी। आयु गणना की तिथि 01 जुलाई 2023 होगी।
5. इस पद पर तैनाती दो वर्ष के लिए होगी जो कार्य के मूल्यांकन के आधार पर दो बार 01–01 वर्ष अधिकतम आयु 68 वर्ष होने तक बढ़ाई जा सकती है।
6. अभ्यर्थी को इस पद हेतु दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण एवं निरीक्षण हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है।
7. लोकपाल के पद पर पुर्ननियुक्ति नहीं होगी।
8. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
9. नियुक्त व्यक्ति को प्रति सिटिंग रू0 2250.00 माह में अधिकतम रू0 45,000.00 मानदेय देय होगा।
10. आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से कार्यालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, 21, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दिनांक 15.12.2023 के सायं 05:00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.ruralsoftnet.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
प्रकाशन अधिकारी (मनरेगा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Generated by CamScanner

लोकपाल (Ombudsman) पद हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

भाग अ–व्यक्तिगत सूचना

पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ

(अभ्यर्थी के हस्ताक्ष

1– आवेदित जनपद का नाम –
2– आवेदक का नाम–...
3– पिता/पति का नाम–...
4– पत्राचार का पता– ....
(ई–मेल आई.डी./मोबाईल नं0 सहित)..
5– स्थायी पता–...
(स्थाई पते का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
6– जन्म तिथि–......................................(हाईस्कूल का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7– क्या मानसिक व शरीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु सक्षम है–.........................
(राजकीय चिकित्सक का प्रमाण–पत्र 06 माह के अन्दर जारी संलग्न करें)–............................
8– क्या किसी राजनैतिक पार्टी अथवा प्रतिबंधित संगठन के सदस्य है– ....
(सदस्य न होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें)–
9– क्या आपराधिक केस में दण्डित/आरोपित हुए है ....
(नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें)–...
10–क्या आप महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित रहे हैं ....
(यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें)–

भाग ब–शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी सूचना

11– अधिकतम शैक्षणिक योग्यता :–..
(राजपत्रित अधिकारी के प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

12– अनुभव–.. (राजपत्रित अधिकारी के प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न करें)

क्र0सं0	अनुभव का क्षेत्र	कार्य का विवरण	वर्षवार कार्य की तिथि– (....... से ...... तक)	कार्य अवधि वर्ष .... माह..........
1				
2				
3				
4				
5				

**आवश्यकतानुसार तालिका में पक्तियां जोड़ सकते हैं।*

13– धारित अंतिम पद का विवरण एवं वेतन तथा सेवानिवृत्त होने की तिथि.................
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

14– किसी सोसाईटी/व्यावसायिक संगठन का सदस्य होने की स्थिति में विवरण दें
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त समस्त सूचनाएं सत्य है। मैंनें विज्ञापन एवं भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल संबंधी दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लिया है और मुझे पता है कि लोकपाल का कार्य एक अंशकालीन कार्य है तथा लोकपाल को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के नियमों व योजना के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्य करना है।

स्थान–

दिनांक–
संलग्लकों का विवरण–
1.
2.

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
प्रकाशन अधिकारी (मनरेगा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

आवेदक के हस्ताक्षर ....
आवेदक का नाम ....

Generated by CamScanner